

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 314]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 6 अक्टूबर 2023—आश्विन 14, शक 1945

सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

क्र. एफ-1-57-2005-एक-13.—राज्य सरकार, एतद्वारा, 'मध्यप्रदेश स्वतंत्रता संग्राम सैनिक सम्मान निधि नियम 1972' में निम्न संशोधन करती है :—

### संशोधन

- उक्त नियमों में, नियम 4 के उपनियम (1) के स्थान पर निम्न उपनियम प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—  
“(1) रुपये 30000/- (रुपये तीस हजार केवल) प्रतिमाह राज्य सम्मान निधि स्वीकृत की जावेगी.”
- उक्त संशोधन अधिसूचना जारी के दिनांक से प्रवृत्त हुआ समझा जावेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
शैलबाला अंजना मार्टिन, अपर सचिव.